265

[2018] 4 एस. सी. आर 265

/

मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसके माध्यम से यह अधिकृत प्रतिनिधि है

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य अपने निदेशक के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है

/

(2018 की सिविल अपील संख्या 4250) अप्रैल 19,2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर**.** एफ**.** नरीमन**,** जे**.** जे**.]**

मध्य प्रदेश मध्यम अधिकारन अधिनियम, 1983:समयबद्ध निपटान के अंतर्गत कार्यवाही:चूँकि विधान का उद्देश्य त्वरित विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है, इसलिए राज्य को कार्यवाही की समयबद्धता की निगरानी करने की आवश्यकता है-इस उद्देश्य के लिए एक या दो साल को उचित समय के रूप में लिया जा सकता है-हालांकि यह समयबद्धता अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी संबंधित लोगों द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि ऐसी समयबद्धता का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए-मुख्य न्यायाधीश मामले में जितना संभव हो उतने कदम उठा सकते हैं-यदि यह पाया जाता है कि यथासंभव समयबद्धता प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो वैधानिक संशोधनों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि किसी अन्य उपयुक्त मंच पर समाधान प्रदान किया जा सके-अपील का निपटारा किया जाए।

/

/

/

कृष्णकांत तामाराकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य

2018 (6) स्केल **156-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

2018 (6) पैरा **1** में संदर्भित स्केल **156**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2018 की सिविल अपील संख्या 4250।

2013 की मध्यस्थता याचिका संख्या 27 में जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.05.2017 से।

/

पराग त्रिपाठी, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रभात कुमार, श्रीधर पोटाराजू, सुधीर मिश्रा, सुश्री पेटल चंदोक, प्रभात कुमार, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., सुश्री अंकिता शर्मा, ऋषभ, उदय खन्ना, ऋषभ कपूर, सुश्री अनुसूया सलवान, विकास सूद, हर्ष पाराशर, भुवन

/

265 ए.

266

/

[2018] 4 एस सी आर।

मिश्रा, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, विवेकन सिब्बल, विवेकानंद बोम्मिनेनी, आकाश लांबा, अमन पांडे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।पुरुशुइंद्र कौरव, मिश्रा सौरभ, बी. एन. दुबे, सुश्री देविका गुलाटी, सुश्री अनुराधा मिश्रा, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, के. कृष्ण कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।अनुमति केवल इस बात पर विचार करने के लिए दी जाती है कि क्या एम. पी. मध्यम अधिकार अधिनियम, 1983 (एम. पी. अधिनियम, 1983) के अंतर्गत कार्यवाही के समय पर निपटारे के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता है।

/

2. एस. अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान में एम. पी. अधिनियम, 1983 के अंतर्गत न्यायाधिकरण की कार्यवाही में पांच साल और कभी-कभी इससे भी अधिक समय लगता है।राज्य के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि कुछ मामलों में ऐसा हो रहा है।3. कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो त्वरित विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है, राज्य को समयबद्धता की निगरानी करनी चाहिए ताकि मध्यस्थता की कार्यवाही में अनावश्यक रूप से लंबा समय न लगे।एक से दो साल, हमारे विचार में, इस उद्देश्य के लिए उचित समय के रूप में लिया जा सकता है।4. समय-समय पर किए जाने वाले यथार्थवादी

मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, इस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए इतनी संख्या में पीठों की स्थापना की जा सकती है।न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अनुचित देरी न हो।जब भी अध्यक्ष को लगता है कि पीठों की कमी है, तो अध्यक्ष को राज्य सरकार को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और राज्य सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए।यदि यह पाया जाता है कि इन निर्देशों के बावजूद, कार्यवाही का त्वरित निपटान नहीं हो रहा है, तो दोनों पक्षों के लिए यह खुला रहेगा कि वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करें जो मामले को देख सकते हैं और ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें इस संबंध में आवश्यक माना जाए।

/

/

/

/

5. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि मूल स्तर पर निर्णय पर्याप्त नहीं है यदि उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही में कार्यवाही को रोक दिया जाता है।इस तरह की पुनरीक्षण याचिका का शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए लेकिन दो साल से अधिक नहीं।

/

267

मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टीएचआर। यह ऑथ है। आर. ई. पी. वी.स्टेट ऑफ एम. पी. ऐक्टिंग टी. एच. आर. यह निदेशक है

/

6. यद्यपि उपरोक्त समयसीमा अनिवार्य नहीं है, तथापि सभी संबंधितों द्वारा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि ऐसी समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि मुख्य न्यायाधीश मामले में यथासंभव कदम उठा सकें।यदि यह पाया जाता है कि विचार की गई समयसीमा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वैधानिक संशोधनों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि किसी अन्य उपयुक्त मंच पर उपचार प्रदान किया जा सके।इस संबंध में 2018 की आपराधिक अपील No.470 में "कृष्णकांत तामराकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य" शीर्षक वाले इस न्यायालय के दिनांकित 28.03.2018 के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।7. अपील का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

/

/

अपील का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/